

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-71/2019-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० रजिया सुल्ताना, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(स्त्री एवं प्रसव रोग), रेफरल अस्पताल, पंडौल, मधुबनी द्वारा दिनांक 15.11.2024 से 31.01.2025 तक कुल 78(अठहत्तर) दिन उपभोगित अवकाश को वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-439(25), दिनांक 03.03.2025 एवं वित्त विभाग के पत्रांक-9889, दिनांक 01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश को घटाने के पश्चात डा० सुल्ताना को 573(पाँच सौ तिहत्तर) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-71/2019-

889(3)

पटना, दिनांक 30/5 / 2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, पंडौल, मधुबनी/ कोषागार पदाधिकारी. मधुबनी/डा० रजिया सुल्ताना, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(स्त्री एवं प्रसव रोग), रेफरल अस्पताल, पंडौल, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/5/25

सरकार के अवर सचिव

अ